

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 271 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SHIVENDRA SINGH

... APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

... RESPONDENTS

INDEX

N.D.O.H.: 24.09.2025

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-8
2.	<u>ANNEXURE-1</u> True copy of Showcause notice issued to M/s. Champa Enterprises.	9-10
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Photographs of the brick kiln.	11
4.	<u>Annexure-A</u> True copy of inspection report in respect of aforesaid brick kilns	12-36

NEW DELHI

DATED: 23/09.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 271 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Shivendra Singh

...Applicant

Versus

Uttar Pradesh Pollution Control Board
& Ors.

...Respondents

**REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-1,UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Ashutosh Chauhan, aged about 45 years, S/o Late Shri Ratan Singh Chauhan, presently posted as Gorakhpur Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Gorakhpur, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.



That the Applicant has filed the abovenoted Original Application wherein following prayers have been made:

"a. Direct Respondent No. 1 AND/OR Respondent No. 2 , AND/OR other relevant authorities to immediately

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

seal and dismantle all illegally operating brick kilns in Kushinagar that have been issued closure orders.

- b. *Direct Respondent No. 1 AND/OR Respondent No. 2 to impose environmental compensation on Respondent Nos. 9 to 14 in a time-bound manner, for the continued illegal operation of their respective brick kilns, for their respective years of illegal operation, without obtaining the requisite consent and complying with environmental norms, in willful defiance of statutory regulations, closure directions, and binding environmental norms;*
- c. *Direct the Respondent authorities to regularly monitor the operation of the Respondent brick kilns as they are in the habit of restarting operation even after closure orders.*
- d. *Direct Respondent No. 5 to produce records about Registration AND/OR Filing AND/OR Payment of tax by each of the Respondent brick kilns including their previous names.*
- e. *Direct Respondent No. 8 to produce records of consent applied for by and issued to the Respondent brick kilns for the purpose of mining soil for making bricks; and f. Pass any other order(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit in the interest of justice, public health, and environmental protection."*



Girijesh Kumar Gupta
 NOTARY 23/9/20
 GORAKHPUR

[Signature]

3. That the plea of the Applicant is that Respondent Nos.09 to 14 brick kilns are operating without requisite permissions and in violation of the environmental norms.
4. That upon considering the present matter this Hon'ble Tribunal vide its order dated 11.09.2025 was pleased to pass the following directions:

"...4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. ****

6. Respondent no.1-UPPCB is directed to immediately conduct surprise check of the respondent's unit and if these units are found to be operating in violation of the environmental norms, take appropriate punitive and remedial action without any delay and submit the comprehensive action taken report before the Tribunal within four weeks..."



5. That the status of the brick kilns are as under:

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

- (i) M/s. Maa Champa Enterprises (earlier known as Premi Ji Bricks Pvt. Ltd.), Village Gangrani, Post – Horlapur, Tehsil Padrauna.

This brick kiln was inspected on 19.08.2025 when it was found that it has netiher obtained Consent to Establish nor Consent to Operate, hence the Regional Office recommended for issuance of showcause notice to this brick kiln. During the inspection it was found that the brick kiln is not in operation. Pursuant to the recommendation, showcause notice has been issued to the brick kiln.

Copy of Showcause notice issued to M/s. Champa Enterprises is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1.**

Photographs of the brick kiln is being enclosed herewith and marked as **Annexure -2.**

- (ii) M/s. India Ent Udyog, Village Prasadpur, Post Pakdi Bujurg, Tehsil, Padrauna, District Kushinagar.



During the inspection done on 19.08.2025 it was found that there is no such brick kiln established with the name of M/s. India Ent Udyog at site. However, at the said place M/s. Manglam Ent Udyog was found established. M/s. Mangalam Ent Udyog was issued

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Signature]

closure order earlier. During inspection it has been found that the brick kiln is not in operation.

- (iii) M/s. Bharat Ent Udyog, Village amwa Bujurg, Post Kubersthan, Tehsil Padrauna, District Kushinagar.

Closure order has been issued to the said brick kiln on 15.07.2021. Aforesaid brick kilns was found not operating during inspection on 11.09.2025 and the inspection carried out earlier on 19.08.2025.

- (iv) M/s. S.N.G. Ent Udyog, Village Maharani, Post Kubersthan, Tehsil Padrauna, District Kushinagar.

The said brick kiln has been issued showcause notice dated 04.04.2024. The said brick kilns has also been issued closure order dated 01.09.2025.

During inspection the aforesaid brick kiln was found not operational. Earlier also on 19.08.2025, the brick kiln was found not in operation at the time of inspection done on the said date.

- (v) M/s. Braj Narain Singh, H.U.F. Village Singha, Post Kubersthan, Tehsil Kasya, District Kushinagar.

At the time of inspection it was found that no such brick kiln namely M/s. Braj Narain Singh HUF is established at the site in question. However, the brick



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Handwritten Signature]

kiln in the name of M/s. Shri Ram Singh HUF was found established in the said village. The said brick kiln M/s. Shri Ram Singh HUF has been issued showcause notice dated 31.07.2025. Thereafter the said brick kiln was issued closure order dated 01.09.2025.

At the time of inspection dated 11.09.2025 and earlier also on 19.08.2025 when the inspection was carried out, the said brick kiln was found not in operation.

- (vi) M/s. J.D.M. Ent Udyog, Village Chaube Tola (Deoria Tola), Tehsil Padrauna, District Kushinagar.

This brick kiln has been issued showcause notice under Section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 on 10.09.2025. The showcause notice has been duly served on the representative of said brick kiln on 12.09.2025. At the time of inspection done earlier on 19.08.2025, the brick kiln was found not in operation.



True copy of inspection report in respect of aforesaid brick kilns is being enclosed herewith and marked as Annexure-A.

That the above facts are being placed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY 23/9/25
GORAKHPUR


[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 23th DAY OF SEPTEMBER, 2025 AT GORAKHPUR

[Signature]
DEPONENT



3142/25
Solely affirmed before me at
23-9-25
Ashutosh Chauhan
I have satisfied myself that he/she
is the person named in the affidavit
and that he/she is duly qualified to depose.

[Signature]
Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या..... 132505 वृत्त-6/ईट भट्टा-869/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025 दिनांक.....

10/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज,
(पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0),
ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मो0-8601142017)

यह कि मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.08.2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.834819 अक्षांश एवं 84.016977 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 680 मीटर की दूरी पर ग्राम- सहजवलिया अनुमानित आबादी 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 550 मीटर की दूरी पर ग्राम हरैया खुर्द अनुमानित आबादी 400 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 590 मीटर की दूरी पर ग्राम- गांगरानी अनुमानित आबादी लगभग 1300 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 870 मीटर की दूरी पर ग्राम बरहज अनुमानित आबादी 1500 स्थित है। पूरब- उत्तर दिशा में लगभग 450 मीटर की दूरी पर बाबू ब्रिज बिहारी सिंह महाविद्यालय स्थित है उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की आख्यानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ संहमति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एव व्यापक जनाहेत मं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने क लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा

संलग्नक:-यथोपरि।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 10-09-2025
11:28:11
पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी, (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट संस्तुति 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

एक प्री प्राप्त किया

आरविन्द सिंह

11-09-25



प्रदूषण रोकिए!

पर्यावरण बचाइए!



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 1210/शा0-380/2025

दिनांक : 15-9-25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन संदर्भित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.09.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
Digitally signed by
Ashutosh Chauhan
Date: 2025.09.15
17:49:47 +05'30'
(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विधि अधिकारी प्रथम (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


Ashutosh Chauhan
Digitally signed by
Ashutosh Chauhan
Date: 2025.09.15
17:50:08 +05'30'


महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर- 273008
web site : www.uppcb.com, e-mail id : rogorakhpur@uppcb.in

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण दिनांक 11.09.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

क्र0 सं0	मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल शपथ पत्र में उल्लिखित ईट भट्टों का विवरण	दिनांक 11.09.2025 को निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों का विवरण
1	मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज पूर्व नाम प्रेमी जी ब्रिक्स प्रा0 लि0, ग्राम-गांगरानी, पोस्ट- होरलापुर, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर।	उक्त संदर्भित ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- एच. 32505 वृत्त-6/ईट भट्टा/869/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025 दिनांक 10.09.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्नक-01 के रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। पूर्व म दिनांक 19.08.2025 को निरीक्षण के समय भी ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का लिया गया फोटोग्राफ संलग्नक-02 के रूप में संलग्न है।
2	मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग, ग्राम प्रसादपुर, पोस्ट- पकड़ी बुजुर्ग, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर।	निरीक्षण के समय ग्राम प्रसादपुर, पोस्ट- पकड़ी बुजुर्ग, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर में मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग नाम का कोई ईट भट्टा स्थापित नहीं पाया गया। संदर्भित पते पर मेसर्स मंगलम ईट उद्योग स्थापित पाया गया। मेसर्स मंगलम ईट उद्योग, ग्राम- प्रसादपुर पोस्ट- पकड़ी बुजुर्ग, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर में स्थापित है। मेसर्स मंगलम ईट भट्टे को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र सं0- एच. 63446/सी0-6/सा0-632/ई0 भ0/बन्दी आदेश/कुशीनगर /2021 दिनांक 15.07.2021 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक-03 के रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। पूर्व में दिनांक 19.08.2025 को निरीक्षण के समय भी ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का लिया गया फोटोग्राफ संलग्नक-04 के रूप में संलग्न है।
3	मेसर्स भारत ईट उद्योग, ग्राम- अमवा बुजुर्ग, पोस्ट- कुबेरस्थान, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर।	उक्त संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र सं0- एच 63446/सी0-6/सा0-632/ई0भ0/बन्दी आदेश/कुशीनगर / 2021 दिनांक 15.07.2021 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक-05 के रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय दिनांक 11.09.2025 एवं पूर्व में निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को भी ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का लिया गया फोटोग्राफ संलग्नक-06 के रूप में संलग्न है।
4	मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम- महारानी, पो0- कुबेरस्थान, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर।	उक्त संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र सं0 एच. 09012/वृत्त-6/ई0भ0/840/का0ब0नो0/गोरखपुर/2024, दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ईट भट्टे को जारी कारण बताओ कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्नक 07 के रूप में संलग्न है। तदुपरान्त उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- एच. 32153 वृत्त-6/ईट भट्टा/840/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025 दिनांक 01.09.2025


L.A.


J.A.

		द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक-08 के रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे क संचालन कार्य बन्द पाया गया। पूर्व में दिनांक 19.08.2025 को निरीक्षण के समय भी ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का लिया गया फोटोग्राफ संलग्नक-09 के रूप में संलग्न है।
5	मेसर्स बृज नारायण सिंह एच0यू0एफ0, ग्राम- सिंगहा, पो0- कुबेरस्थान, तहसील- कसया, जनपद- कुशीनगर।	निरीक्षण के समय ग्राम- सिंगहा, पो0- कुबेरस्थान, तहसील- कसया, जनपद- कुशीनगर में मेसर्स बृज नारायण सिंह एच0यू0एफ0 के नाम से ईट भट्टा स्थापित नहीं है उक्त ग्राम में मेसर्स श्री राम सिंह एच0यू0एफ0 नाम से ईट भट्टा स्थापित पाया गया। उक्त मेसर्स श्री राम सिंह एच0यू0एफ0 इट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 एच. 30908 / वृत्त-6 / ई0भ0 / 865 / का0ब0नो0 / गोरखपुर / 2025, दिनांक 31.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्नक-10 के रूप में संलग्न है। तदोपरान्त उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- एच. 32198 वृत्त-6 / ईट भट्टा / 865 / बन्दी आदेश / 25, दिनांक 01.09.2025 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक-11 के रूप में संलग्न है। निरीक्षण दिनांक 11.09.2025 एवं पूर्व में दिनांक 19.08.2025 को भी निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का लिया गया फोटोग्राफ संलग्न 12 के रूप में संलग्न है।
6	मेसर्स जे0डी0एम0 ईट उद्योग, ग्राम- चौबे टोला (देवरिया टोला), तहसील- पड़रौना, जनपद- कुशीनगर।	उक्त संदर्भित ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- एच. 32504 वृत्त-6 / ईट भट्टा / 870 / का0ब0नो0 / गोरखपुर / 2025 दिनांक 10.09.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्नक-13 के रूप में संलग्न है। ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति ईट भट्टे के प्रतिनिधि को दिनांक 12.09.2025 को तामिला करा दिया गया है। ईट भट्टे को कराया गया तामिला की छायाप्रति संलग्न-14 के रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। पूर्व में दिनांक 19.08.2025 को निरीक्षण के समय भी ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का लिया गया फोटोग्राफ संलग्नक-15 के रूप में संलग्न है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(डॉ आर0के0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक

(राम मिलन वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी, सहोदर
Ashutosh Chauhan
Date: 2025.09.15
17:49:12 +05'30'



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या..... 132505 वृत्त-6/ईट भट्टा-869/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025 दिनांक.....

10/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज,
(पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0),
ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मो0-8601142017)

यह कि मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.08.2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.834819 अक्षांश एवं 84.016977 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 680 मीटर की दूरी पर ग्राम- सहजवलिया अनुमानित आबादी 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 550 मीटर की दूरी पर ग्राम हरैया खुर्द अनुमानित आबादी 400 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 590 मीटर की दूरी पर ग्राम- गांगरानी अनुमानित आबादी लगभग 1300 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 870 मीटर की दूरी पर ग्राम बरहज अनुमानित आबादी 1500 स्थित है। पूरब- उत्तर दिशा में लगभग 450 मीटर की दूरी पर बाबू ब्रिज बिहारी सिंह महाविद्यालय स्थित है उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की आख्यानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ संहमति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एव व्यापक जनाहेत मं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने क लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा

संलग्नक:-यथोपरि।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 10-09-2025
11:28:11
पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी, (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट संस्तुति 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

एक प्री प्राप्त किया

आरविन्द सिंह

11-09-25





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63446 /सी-6/सा0-632/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/कुशीनगर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Mangalam Int Udyog, Vill- Prasadpur, Post- Pakdi Bujurg, Tehsil- Padrauna
जनपद-कुशीनगर

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rutyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)



Latitude: 26.864307
Longitude: 83.988188
Elevation: 90.55±8.34 m
Accuracy: 6.007 m
Time: 08-19-2025 13:53
Note: Mangalam.Int Udyog ,vill- Parsadpur,post- Pakdi, Padrauna,Kushinagar

Powered by NoteCam



20

संलग्नक-05115

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63446 / सी-6/सा0-632/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/कुशीनगर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Bharat Int Udyog, Vill- Amwan Bujurg, Post- Kuber Asthan, Tehsil- Padrauna
जनपद-कुशीनगर

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

R. Tyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड... 4.6... 12-04-24
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD... 117

संदर्भ संख्या... 409012 / वृत्त-6 / ईट भट्टा-840 / का0ब0नो0 / गोरखपुर / 2024

सेवा में,

मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग,
ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर।

क्रम सं०.....
प्राप्ति दिनांक... 12/4/24
दिनांक... 04/04/24

ANNEXURE-7

पंजीकृत

यह कि मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 03.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सत्यनारायण गुप्ता, प्रोपराइटर ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्द पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 2.5 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-कुबेरस्थान, अनुमानित आबादी लगभग 1000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 870 मीटर की दूरी पर ग्राम-बरहज, अनुमानित आबादी लगभग 3000 है। उत्तर दिशा में लगभग 1.2 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-सजवलिया, अनुमानित आबादी लगभग 800 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-महारानी अनुमानित आबादी 200 स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में कोयला एवं लकड़ी लगभग 3.2 टन/दिन की दर से प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में भूतल से 27 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित पायी गयी।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं ब्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अर्न्तगत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि क्यों न मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
- 2 यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31 ए के अर्न्तगत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 2 पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
- 4 जिला खान अधिकारी, कुशीनगर।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 15 दिन में ईट भट्टे का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या..... वृत्त-6/ ईट भट्टा-840/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक..... 01/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग,
ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मो0-9721857720)

यह कि मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच.09012/वृत्त-6/ईट भट्टा-840/का0ब0नो0/गोरखपुर /2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 24.04.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.822654 अक्षांश एवं 84.02502 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 2.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-कुबेरस्थान, अनुमानित आबादी लगभग 1000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 870 मीटर की दूरी पर ग्राम-बरहज, अनुमानित आबादी लगभग 3000 है। उत्तर दिशा में लगभग 1.2 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-सजवलिया, अनुमानित आबादी लगभग 800 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-महारानी अनुमानित आबादी 200 स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बाड क क्षेत्राय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam

Date: 29-08-2025

प्रशासनिक अभियन्ता,

प्रभारी, वृत्त-6

१८

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

एक प्रतिलिपि प्राप्त
11.09.25
1 स्वयंनारायण गुप्ता





26
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **ANNEXURE 2-10**
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक: H.30908/वृत्त-6/ईट भट्टा-865/का0ब0न0/गोरखपुर/2025

दिनांक: 31/07/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०,

ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया,

जनपद-कुशीनगर (गो०-7400361518)

यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 17.07.2025 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करादी गयी निरीक्षण एवं संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 18.07.2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेटस-26.794799 अक्षांश एवं 83.017849 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमवां युजुर्ग, अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम विशुनपुर भटवलिया अनुमानित आबादी 1200 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 850 मीटर की दूरी पर ग्राम बतरीली बाजार अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल 3020 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि उक्त आख्यानुसार यह भी अवगत करया गया है कि ईट भट्टे द्वारा दिनांक 30.09.2022 को प्रथम बार सहमति (जल/वायु) हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन पत्र के साथ दूसरे स्थान पर स्थापित एवं संचालित ईट भट्टा मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम-पोखर भिण्डा, तहसील-कसया जनपद कुशीनगर की प्रति ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी थी, जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र सं०-166599/यू०पी०पी०सी०बी०/गोरखपुर (यू०पी०पी०सी०बी०आर०ओ०)/सी०टी०ओ०/बोध/कुशीनगर/2022, दिनांक 22.10.2022 द्वारा दिनांक 31.07.2027 तक संशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी थी। ईट भट्टा द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सी०टी०ओ० की प्रति दूसरे स्थान पर स्थापित होने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2025 माध्यम से ईट भट्टे की संशर्त सहमति (जल/वायु) को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 17.07.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेंस के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरवाचित्व स्वयं ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा।

संलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 2 पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पदायत, कुशीनगर।
- 4 जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा-स्थापकी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित संस्तुति 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

रक धार प्राप्त किया

अकादिशा सिंह

2-08-2025

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppeb.in - Web Site: www.uppcb.in

पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी, (वृत्त-6)

पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी, (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720031, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या... 1432-194 वृत्त-6/ईट भट्टा-865/बन्दी आदेश/15
दिनांक.....

01/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०,
ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर (मो०-7408361518)

यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30908/वृत्त-6/ईट भट्टा-865/का०ब०नो०/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-27.071399 अक्षांश एवं 83.79246 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमवा बुजुर्ग, अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम विशुनपुर भटवलिया अनुमानित आबादी 1200 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 850 मीटर की दूरी पर ग्राम बतरौली बाजार अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये

जान को सस्तुते आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुवेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुवेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुवेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 29-08-2025
प्रशासन अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

रुक प्रोप्री प्रो क्रिया
जगदीश सिंह
11/9/25







उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या.....132504

वृत्त-6/ईट भट्टा-870/का0व0नो0 गोरखपुर/2025 दिनांक 10/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग,

ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मो0-9161777129)

यह कि मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद- कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 35,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद- कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.08.2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.834074 अक्षांश एवं 83.988207 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर प्राथमिक पाठशाला, ग्राम- देवरिया टोला स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम चौबे टोला आबादी 1000 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 1.0 किमी० की दूरी पर ग्राम होरलापुर आबादी लगभग 1500 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम-टडवा अनुमानित आबादी 700 स्थित है। पूरब- दक्षिण दिशा में लगभग 270 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवरिया टोला अनुमानित आबादी 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की आख्यानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा

आधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) का धारा-31ए क अन्तगत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जनसाधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तगत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि क्यों न मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट- होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद- कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
- 2 यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तगत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

Digitally signed by
Radhey Shyam

Date: 10-09-2025

11:13:43
पर्यावरण अभियंता,

प्रभारी, (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निदंश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या प्रेषित करें।

रूपेण उपरि लिखित

संलग्नक
10-9-25 -



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in • Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या.....

वृत्त-6/ईट भट्टा-870/का0ब0नो0 गोरखपुर/2025 दिनांक 10/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग,

ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मो0-9161777129)

यह कि मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद- कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 35,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद- कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.08.2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.834074 अक्षांश एवं 83.988207 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर प्राथमिक पाठशाला, ग्राम- देवरिया टोला स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम चौबे टोला आबादी 1000 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 1.0 किमी० की दूरी पर ग्राम होरलापुर आबादी लगभग 1500 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम-टड़वा अनुमानित आबादी 700 स्थित है। पूरब- दक्षिण दिशा में लगभग 270 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवरिया टोला अनुमानित आबादी 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की आख्यानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा

निर्माण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) का धारा-31ए क अन्तगत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जनसाधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तगत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट- होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद- कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स जे०डी०एम० ईट उद्योग, ग्राम चौबे टोला, (देवरिया टोला), पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तगत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

Digitally signed by
Radhey Shyam

Date: 10-09-2025

11:13:43

पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी, (वृत्त-6)

१/८

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या प्रेषित करें।

रख गति उपर लिख

संलग्नक
10-9-25

